संख्या- 96/2016/2923/33-3-2016-268/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2-समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी,उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3, लखनऊ दिनांकः 25 नवम्बर, 2016

विषयः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों मे लाभार्थीवार अंकन एवं शत् प्रतिशत सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले मे शौच मुक्त किया जाना है। जनपदों द्वारा अधिक संख्या में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराना होगा। निर्मित शौचालयों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु, निर्मित शौचालयों का एक कोड निर्धारित करना आवश्यक है, जिससे कि भविष्य में निर्मित शौचालयों के सत्यापन कराये जाने में कठिनाई न हो, जिसके लिए जनपद स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना होगा-

1. निर्मित शौचालयों में लाभार्थी का नाम का अंकन- ग्राम पंचायत में निर्मित समस्त शौचालयों में अनिवार्य रूप से कार्यक्रम का नाम, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत का नाम, निर्माण वर्ष, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम सहित एवं लाभार्थी क्रमांक ग्राम पंचायत की एल.जी.डी. कोड/ग्राम पंचायत कोड के साथ अंकित किया जायेगा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा समस्त लाभार्थियों की सूची लाभार्थी क्रमांक सहित रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप पर अंकित की जायेगी (प्रारूप संलग्न) पेशानी में अंकित किया जायेगा तथा नये निर्मित होने वाले शौचालयों की सूची में निरन्तरता रखी जायेगी। लाभार्थीवार सूची ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी। इस शासनादेश के निर्गत होने से पूर्व निर्मित शौचालयों का कोड स्ळक् कोड के साथ 5001 से प्रारम्भ किया जायेगा तथा शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त निर्मित शौचालयो का कोड स्ळक् कोड के साथ-0001 से प्रारम्भ किया जायेगा।

उदाहरणार्थः-

शासनादेश निर्गत होने से पूर्व निर्मित शौचालय हेतु-

कार्यक्रम का नाम- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

जनपद-आगरा, विकास खण्ड-अकोला, ग्राम पंचायत- अभयपुरा

शौचालय निर्माण वर्ष -वित्तीय 1999-2000

लाभार्थी का नाम -श्री/श्रीमती.....

पिता/पति का नाम -श्री .....

http://shasnadeshup.nic.in

लाभार्थी क्रमांक-ग्राम पंचायत का एल.जी.डी. कोड-5001 से प्रारम्भ जैसे-42776-5001

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मे निर्मित शौचालय हेतु

<u>उदाहरणार्थः-</u>

शासनादेश निर्गत होने के पश्चात निर्मित शौचालय हेतु-

कार्यक्रम का नाम- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

जनपद-आगरा, विकास खण्ड-अकोला, ग्राम पंचायत- अभयपुरा

शौचालय निर्माण वर्ष - वित्तीय 2016-17

लाभार्थी का नाम - श्री/श्रीमती.....

पिता/पति का नाम - श्री .....

लाभार्थी क्रमांक-ग्राम पंचायत का एल.जी.डी. कोड-0001 से प्रारम्भ जैसे-42776-0001

2. निर्मित शौचालयों की शतप्रतिशत सत्यापन-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश मे अधिक संख्या मे व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जनपदों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं उपयोग कि सुनिश्चितता करने हेतु सत्त सत्यापन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। जिससे व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि शत्प्रतिशत सदुपयोग हो तथा वित्तीय अनियमितता न हो।

शासनादेश संख्या-195/33-3-2015-110/2012 दिनांक 06 फरवरी 2015 के बिन्दु संख्या-11.8 मे परियोजना के निगरानी एवं मूल्यांकन पर व्यय होने वाली धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत किये जाने का प्राविधान है।

कतिपय जनपदों यथा-बिजनौर, वाराणसी आदि द्वारा कौशल विकास मिशन अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं अन्य द्वारा शत्प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं प्रयोग का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया है तथा सत्यापन करने वाले व्यक्ति को प्रति शौचालय सत्यापन हेतु 02 से 02.50 रूपये की धनराशि का भुगतान भी किया जा रहा है।

मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास, लखनऊ के पत्र सं. 2714/कौ.वि.मि./ 16-17/एस./विविध पत्राचार/332 दिनांक 26.10.16 के द्वारा ग्रामीण योजनान्तगत खुले में शौच मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के सत्यापन कराये जाने हेतु कौशल विकास निगम से जुड़े प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को शामिल करने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

समस्त जनपदों मे थर्ड पार्टी के रूप मे कौशल विकास मिशन, आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूह के सदस्यों, एन.एस.एस., एन.वाई.के. आदि से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का शत्प्रतिशत सत्यापन किया जाना है। सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर कमेटी गठित कर ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों के सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जा सकते है व नामित अधिकारियों के साथ उपरोक्तानुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों का शतप्रतिशत शौचालय सत्यापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों को मानदेय के रूप में प्रतिदिन रु. 250.00 से रु. 300.00 तक की धनराशि मानदेय के रूप में अनुमन्य होगी अथवा प्रति शौचालय सत्यापन हेतु रु. 2.00 से 2.50 पै. का भुगतान भी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था प्रतिदिन कम से कम 100 शौचालयो के सत्यापन किये जाने पर ही अनुमन्य होगी। जनपद प्रति प्रशिक्षित

http://shasnadeshup.nic.in

व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन सत्यापित शौचालयों की संख्या को बढ़ा भी सकते है। जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी उपरोक्तानुसार अपने जनपद की व्यवस्था निर्धारित करें।

3. मण्डल स्तर पर भी संयुक्त टीम गठित कर जनपदों में निर्मित शौचालयों का शतप्रतिशत सत्यापन करने हेतु जनपदों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की सत्यापन अधिकारी के साथ ड्यूटी लगाकर सत्यापन कराया जा सकता है अथवा स्वयं उपरोक्तानुसार प्रस्तर-2 में वर्णित व्यक्तियों को मण्डल स्तर पर प्रशिक्षित कर उनकी ड्यूटी मण्डल स्तरीय सत्यापन अधिकारी के साथ लगाकर शौचालयों का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जा सकता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रस्तर-2 में वर्णित मानदेय अनुमन्य होगा। मण्डल स्तर पर व्यय होने वाली धनराशि मण्डल की प्रशासनिक मद की धनराशि से की जायेगी। मण्डल स्तर पर उपलब्ध करायी गयी प्रशासनिक धनराशि से उक्त कार्य में अतिरिक्त धनराशि व्यय होने की स्थिति में राज्य स्तर की प्रशासनिक मद की धनराशि से उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया अभियान की महत्ता एवं योजना की प्राथमिकता के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4-मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
5-निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
6-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0 को परिपालनार्थ।
8-समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को परिपालनार्थ।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in